

यौ स्थायी पात्रता सूची संतुष्ट होने के पश्चात्
-21 से आवास प्लस के आधार पर तैयार
नता सूची से आवास का आवंटन किया जा
वास प्लस के आधार पर आवंटन लेने वाला
राज्य है।

निदेशालय, उ०प्र०, एल०डी०ए० कामशियल कामप्लेक्स, विश्वासखण्ड-3, गोमतीनगर,
लखनऊ के नजारत अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

उ०प्र० 188034 दिनांक-23.03.2023
www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

(सुनील कुमार वर्मा)
निदेशक (रेशम)
उ०प्र०

एफ ने दो अफीम किये गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की पुलिस
एक सफलता लगी है।
शाहजहांपुर स्पेशल
लखनऊ एवं एसओजी
खुबियर की सूचना पर
तस्करी करने वाले दो
गिरफ्तार किया है। ये
सिलेंडर में रख कर
घरने जा रहे थे। पुलिस को
म से 12 किलो फाइन
की अफीम और 4 लाख
रुपए नगद और एक
रामद की है। मिली
के मुताबिक, स्पेशल
फोर्स लखनऊ और
शाहजहांपुर टीम के साथ
प से अवैध मादक पदार्थों
री करने वालों के विरुद्ध
में लगी थी। तभी पुलिस
बर से गुप्त सूचना मिली
पुवाया रोड पर भैंसी पुल
कुछ लोग मादक पदार्थ को
रने वाले है। इन तस्करों से
फीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार
12 करोड़ रुपये कीमत की
रही है। पुलिस इनके
काम करने वाले तस्करों के
प्राप्त कर रही है।

कारोबारी के यहां यकर का छाप

ऊ/अलीगढ़। अलीगढ़ के
बेबारी हाजी जहीर के घर
आई आयकर विभाग की
नगमातार 50 घंटों से जारी है।
मोट कारोबारी के घर और
नानों को पूरी तरह से अपने
ने रखा है और किसी को भी
ने जाने की इजाजत नहीं है।
बेबारी के घर पर भारी संख्या
मिलने की बात सामने आ
गौर इन नोटों को गिनने के
नें भी मंगवाई गई हैं। पिछले
से यह मशानें कारोबारी के
के अंदर ही हैं और अभी तक
नें बाहर नहीं आई हैं। ऐसे में
म में नकदी मिलने की बात
आ रही है, जिससे मोट
की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी

पत्रांक- 3685/मु०का०/2022-23

दिनांक- 23.03.2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी के पंजीकृत ठेकेदारों तथा
शासनादेश सं०-3890/नौ-5-19-149सा०/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर 2019
के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पालिका निधि/राज्य वित्त में उपलब्ध धनराशि से कराये जाने
वाले कार्यों की निविदायें दिनांक 31.03.2023 को इस पालिका परिषद में रखे निविदा बाक्स में अपराह्न 2.00 बजे
तक आमंत्रित की जाती है उक्त निविदायें उसी दिवस में 3.00 बजे निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में
अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जायेंगी। समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 29.03.2023 को अपराह्न 2.00 बजे पालिका
कार्यालय कोषागार में निर्धारित धनराशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त तिथियों में अवकाश होने की
दशा में अगला कार्य दिवस मान्य होगा। समस्त निविदाओं के साथ पृथक-पृथक 10% जमानत धनराशि का
एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० या अन्य प्रतिभूत प्रमाण-पत्र जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
नवाबगंज, बाराबंकी के पक्ष में बंधक हो, लगाना अनिवार्य होगा। कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी
कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि कोई भी अथवा
समस्त निविदायें बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त कर दें जिसका कोई भी क्लेम निविदादाता का मान्य न
होगा। प्रत्येक निविदा के साथ 100.00 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
निविदादाताओं को निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत
प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र, पैन लगाना अनिवार्य होगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्ययानुमान	घरोहर धनराशि	टेन्डर शुल्क+ 18% जी०एस०टी० + शासनादेश के अनुपालन में टेन्डर शुल्क	कार्यावधि
1.	नगर पालिका सीमान्तर्गत वार्ड दराहराबाग के ग्राम पैसार गाटा सं०-157 (मोहारीपुरवा) स्थित तालाब परिसर में गार्डरूम एवं यूरिनल ब्लाक का निर्माण कार्य।	803940.00	80500.00	809+146 + 250+45 =1250	1 माह
2.	लखनऊ-अयोध्या मुख्य मार्ग से जिलाधिकारी महोदय आवास सम्पर्क मार्ग की साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	697720.00	70000.00	703+126 + 250+45 =1124	1 माह

--: शर्तें :-

1. किसी भी टेस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
2. निर्माण कार्य हेतु निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल के बारे में भली-भांति परिचित हो लें।
3. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को शीघ्र-अतिशीघ्र अनुबन्ध करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
5. उ०प्र० भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) नियमावली-2009 के अनुसार कार्य के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि सम्बन्धित बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसको समाविष्ट करते हुए निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
6. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2आडिट/08टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत तक कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर के अनुसूच परफॉर्मेशन गारण्टी ली जायेगी। उक्त धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
7. ठेकेदार के नाम निर्माण कार्य स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1998 एवं तत्सम्बन्धित प्रदेश नियमावली-2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमिक व निर्माण स्थल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून 2021 द्वारा जारी नगर पालिका परिषद में निर्माण/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
नवाबगंज, बाराबंकी

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,
बाराबंकी

रो
भा
भा
कि
स
कि
नि
अ
भा
के
भा
हो
म
न
शा
अ
त
ध
र
त
ह
बि
पर
व
गु
ख
स
बा
मा
अ
नि
क
कै
कर
है।
प्र
को
आं
वि
मे
व
मि
क
सि
क
तु
वृ
ध
प
क
म
पान